

CA/असि/प्रतिवेक
15/12/2011
म.स.
15/12/11

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-6

संख्या-1889/पांच-6-14-23रिट/11

लखनऊ दिनांक: 15 दिसम्बर 2011

कार्यालय ज्ञाप

डा० कैसर अहमद शेख, इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी आफ इंडिया, जौनपुर द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-11691/2004 में पारित आदेश दिनांक 18-03-11 एवं सिविल मिस संशोधन आवेदन पत्र संख्या-101585/2011 में पारित आदेश दिनांक-22.04.11 के अनुपालन में यह अवगत कराते हुये कि उनके द्वारा एन०ई०एच०एम० आफ इंडिया के प्रत्यावेदन जिस पर विचार करते हुये भारत सरकार द्वारा अपने आदेश संख्या-वी-25011/276/ 2009-एच०आर०, दिनांक 05-05-10 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, के अनुरूप ही समान अवधि के समान पाठ्यक्रम के समान सर्टीफिकेट/डिप्लोमा कोर्सेज चलाये जायेंगे।

मा० उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों एवं भारत सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.10 के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा, प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन अनुसंधान एवं विकास विषयक अपने प्रत्यावेदन दिनांक-15.04.11, 02.05.11 एवं 09.06.11 को निस्तारित करने का अनुरोध किया गया है।

2- मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-11691/2004 में दिनांक 18-03-11 को पारित आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत् है-

"With regard to its grievance, the petitioner may make a representation within a month from today in the light of the Government Order dated 5-5-2010(No. V 25011/276/2009-HR) issued by the Government of India, Ministry of Health and Family welfare Department of Health Research."

If the representation is made by the petitioner within the aforesaid period, the same shall be decided by the Government of India within three months from the date of its filing.

इसी आदेश के तारतम्य में दिनांक-22.04.11 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नवत् है-

"The words 'Government of India' occurring in third line of para 3 of the order dated 18.03.11 shall be read as 'State Government.'"

This order shall be treated as part of order dated 18.03.11.

मा० उच्च न्यायालय के उपरिसन्दर्भित आदेशों के आलोक में प्रकरण से सम्बन्धित गमबली एवं उसमें उपलब्ध पत्रजात आदि का गहराई से परिशीलन किया गया। प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

द्वारा दिनांक-05.05.10 को एक विस्तृत आदेश पारित किया गया है। जिसे यहाँ उद्धृत करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

“यह आदेश 1991 की सिविल रिट याचिका संख्या-31904 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक-03.08.09 के आदेश के अनुसरण में पारित किया जाता है जिसमें न्यायालय ने निर्देश दिया है कि “याचिकाकर्ता” विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अभिलेख प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन दे सकता है। यदि ऐसा अभ्यावेदन पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने के संबंध में होगा तो प्राधिकारी उस पर विचार करेगा और अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से छह माह के भीतर एक सुविवेचित एवं आख्यापक आदेश द्वारा मामले पर निर्णय देगा। यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा सुनवाई का वैयक्तिक अवसर प्रदान किया जाएगा। एनईएचएम ने डा0 एन0के0अवस्थी के जरिए सचिव के समक्ष एक अभ्यावेदन दिनांकित 28.10.09 फाइल किया जो 30.11.09 को प्राप्त हुआ। इस अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

1. इलेक्ट्रोपैथी जड़ी-बूटी पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति है और इसकी औषधें आसवित जल की सहायता से औषधीय पादपों से तैयार की जाती हैं। इसलिए इसकी औषधें शत-प्रतिशत सुरक्षित एवं रोगहर हैं।
2. किसी रोगी की मृत्यु के बारे में सरकार को एक भी शिकायत नहीं मिली है। सरकार के पास एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।
3. इलेक्ट्रोपैथी के समर्थन में अनेक न्यायालयी निर्णय दिए गए हैं। इस दावे के समर्थन में अभ्यावेदन के साथ इन मामलों से संबंधित आदेशों की प्रतियां संलग्न की गई हैं।
4. न्यायालयी मामलों के अलावा, अभ्यावेदन में विश्व परिषद के साथ संबंधन, जी0बी0पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री के दिनांक-14.06.91 एवं 17.06.91 के पत्र, सरकारी चिकित्सा परिषदों के पत्र, संसदीय प्रश्नों के उत्तर, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की अधिसूचना, गैर सरकारी विधेयक, ‘पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के पत्र, इंडियन जर्नल आफ़ वेटरिनेअरी मेडिसिन, पंजाब एग्रीकल्चर मैगजीन, लुधियाना में प्रकाशित लेख, जम्मू एवं कश्मीर सरकार की अधिसूचना और एस0एस0पी0 आगरा (उत्तर प्रदेश) के पत्र, मध्य प्रदेश सरकार के पत्र तथा इलेक्ट्रोपैथी संबंधी कुछ प्रकाशन (पुस्तकें एवं पत्रिकाएं) भी प्रस्तुत किए गए हैं।
5. डा0 अवस्थी ने अभ्यावेदन किया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्णय का सम्मान करना चाहिए और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के सर्वधन विकास एवं अनुसंधान (शिक्षा एवं प्रैक्टिस) के लिए एनईएचएम को शुरू में कम-से-कम 15 वर्षों की अनुमति दे कर के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को आश्रय देना

चाहिए जिससे कि बिना किसी बाधा के नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक मानदण्ड हासिल किए जा सकें।

6. मंत्रालय में अभ्यावेदन की जांच की गई। इसके तथ्य निम्नलिखित हैं—

- (i) अपर जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 1992 के वाद संख्या 27 के अंतर्गत दिनांक 14.08.92 के आदेश में निर्देश दिया गया है कि वाद की विचाराधीनता के दौरान वादी के कार्यकलाप के संबंध में कोई सार्वजनिक सूचना जारी न की जाए।
- (ii) एफ0ए0ओ0 संख्या 1998 का 1205 में दिल्ली उच्च न्यायालय के नवम्बर, 1998 का आदेश सार्वजनिक सूचना में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि प्रत्यर्थी सं0 10 से डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारण करने वाले व्यक्ति इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस करने के लिए पात्र नहीं है।
- (iii) एस0एल0पी0 संख्या 11262/2000 (भारत संघ बनाम नेचुरो इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकोज ऑफ इंडिया) में 12.01.2000 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश:

“प्रत्यर्थी के लिए विद्वत काउंसिल ने बतलाया है कि उनके अनुदेशों के अनुसार अभिलेख पुस्तिका क पृष्ठ 4 पर उपदर्शित सीमा तक सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकर कर लिया गया है और मामले के मददेनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आक्षेपित निर्देश गैर-आपवादिक है”

“12.10.2000 को हमारे द्वारा दिए गए आदेश तथा इस बात के मददेनजर कि कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, सी0डब्ल्यू0पी0 संख्या 4015/96 में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए हम मामले पर विचार करने से इनकार करते हैं।”

- (iv) जबलपुर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 19.03.1999 के आदेश 2957/94 जिसमें अनिवार्यतः यह कहा गया था कि उनके द्वारा प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा किसी भी विधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त नहीं है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस किसी भी संविधि द्वारा विनियमित नहीं होती है और इसलिए विनियमन/प्रतिषेध के अभाव में उन्हें प्रैक्टिस बंद करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस अथवा शिक्षण को शासित करने संबंधी कोई भी विधान संघ अथवा राज्य द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश

आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्रवाई की है। न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह अधिनियम केवल ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति पर ही लागू होता है तथा न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय के ध्यान में कोई और विधि नहीं लाई गई थी। जब तक इस शाखा को विनियमित करने के लिए कोई वैध कानून नहीं बनाया जाता तब तक याचिकाकर्ता को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा प्रदान करने से रोकना गैर कानूनी है।

- (v) रिट याचिका संख्या 2462/08 में जबपुर बेंच, ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश जिसमें दिशानिर्देश दिए गए थे कि रिट याचिका 2957/94 में आदेश लागू होंगे।

उपर्युक्त के अलावा दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमंत्री द्वारा दिनांक 17.06.1991 को श्री जगन्नाथ सिंह, सांसद को भेजा गया अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 2921/डीएम (एच एंड एफ डब्ल्यू) 91/ वीआईपी को भी संलग्न किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

“मैंने भारत में इलेक्ट्रोपैथी के विकासात्मक संवर्द्धन और अनुसंधान के लिए एनईएचएम इंडिया को प्राधिकृत किया है।”

भारत सरकार द्वारा महानिदेशक आईसीएमआर की अध्यक्षता में गठित “विशेषज्ञ स्थाई समिति” की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक-25 नवंबर, 2003 आदेश संख्या आर0 14015/25/96- यू एंड एच (आर) (पार्ट) जारी किया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

समिति ने आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और योग एवं नैचुरोपैथी, जिन्हें चिकित्सा पद्धति की मान्यता संबंधी समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य एवं वांछनीय मानदंड पूरा करते हुए पाया गया था, के सिवाय वैकल्पिक पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की थी।

समिति ने यह और सिफारिश की थी कि पृथक पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान न की गई चिकित्सा पद्धतियों को पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्रियां जारी रखने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए तथा डाक्टर शब्द का प्रयोग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के प्रैक्टिशनरों द्वारा ही किया जाना चाहिए। थेरेपी के रूप में माने जाने वाली पद्धति पंजीकृत चिकित्सा प्रैक्टिशनरों के लिए प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के रूप में की जा सकती है।

तथापि समिति ने सिफारिश दी की थेरेपी के रूप में अर्हक एक्जूपंकचर जैसी कतिपय प्रैक्टिसों को पंजीकृत प्रैक्टिशनरों अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा प्रैक्टिस करने हेतु अनुमति दी जा सकती है।

अनिवार्य और वांछनीय मानक के आधार पर समिति ने इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में अर्हक होना नहीं पाया। अतः यह स्पष्ट है कि इस आदेश के अनुसार इलेक्ट्रोपैथी पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री संचालित नहीं कर सकती है तथा इसकी प्रैक्टिस करने वाले "डॉक्टर" शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

एनईएचएम, द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज के अनुसार एनईएचएम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है न कि पूर्णकालिक स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

जहां तक उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने का संबंध है यह स्पष्ट किया जाता है कि आयुर्विज्ञान परिषद् जैसा संबद्ध निकाय/सांविधिक निकाय पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करता है। चूंकि इलेक्ट्रोपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है अतः स्वास्थ्य मंत्रालय में उनके द्वारा संचालित किसी भी पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करने की प्रणाली नहीं है।

एनईएचएम ने ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अनुसार यह चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करने के लिए समिति द्वारा तैयार किए गए अनिवार्य और वांछनीय मानकों की पूर्ति करता हो।

तथापि दिनांक 25 नवंबर, 2003 का आदेश संख्या आर0 14015/25/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) इलेक्ट्रोपैथी के विकास और अनुसंधान को प्रतिषेध नहीं करता है।

यहां उद्धृत मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने अथवा शिक्षा देने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है जब तक कि यह दिनांक 25 नवंबर, 2003 के आदेश संख्या आर0 14015/24/96-यू एंड एच (आर) (पार्ट) के प्रावधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियमन होने के पश्चात् किसी भी क्रियाकलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

4- शासनादेश सं0 1151/5-6-11-डब्लू (दि0 18.04.11 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डिग्री धारकों को प्रैक्टिस करने की अनुमति तथा

डाक्टर शब्द प्रयोग करने की अनुमति दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया, परन्तु मा० उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 18-03-11 एवं 22-04-11 में याची का प्रत्यावेदन भारत सरकार द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-05-10 के संदर्भ में निस्तारित करने के आदेश दिये गये हैं और याची द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.05.10 के अनुरूप ही समान अवधि के समान पाठ्यक्रम के समान सर्टीफिकेट/डिप्लोमा कोर्सज चलाये जायेंगे। अतः मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 18.03.11 एवं 22.04.11 तथा भारत सरकार के आदेश दिनांक 05.05.10 के अनुपालन में याची डा० कैसर अहमद शेख, इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी आफ इंडिया, जौनपुर के प्रत्यावेदन दि० 15.04.11, 02.05.11 एवं 09.06.11 को एतद्वारा निम्नवत निस्तारित किया जाता है:-

"तब तक याचिकाकर्ताओं को इलेक्ट्रोपैथी में प्रैक्टिस करने एवं शिक्षा देने से रोकने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं है, जबतक कि यह दिनांक 25.11.03 के आदेश संख्या-आर-14015/24/96 यू०एण्ड एच० (आर) (पार्ट) के प्राविधान से किया जाता हो। मेडिसिन की नई पद्धतियों को मान्यता प्रदान करने के विधान का अधिनियम होने के पश्चात किसी भी किया कलाप अथवा शिक्षा को उक्त अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जायेगा।"

(संजय अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1880 (1)/पॉच-6-10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ।
- 2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 4- निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- समस्त अपर निदेशक/मुख्य चिकित्साधिकारी।
- 6- डा० कैसर अहमद शेख, इन्स्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी आफ इण्डिया न्यू कटघर, जौनपुर।

2011
5.12.11

आज्ञा मे.
(आर०एस०परिहार)
अन्य सचिव।

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
R E C O R D O F P R O C E E D I N G S

Petition(s) for Special Leave to Appeal (Civil) No(s).19046/2012

(From the judgement and order dated 21/02/2012 in WC No.7698/2012 of The HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD)

INDIAN ELECT.HOMEOPATHY MED.COUNL.& ANR

Petitioner(s)

VERSUS

STATE OF U.P.& ANR.

Respondent(s)

(With appln(s) for exemption from filing O.T. and intervention and PERMISSION TO FILE LENGTHY LIST OF DATES and with prayer for interim relief and office report))

WITH S.L.P.(C)...CC NO. 11698 of 2012
(for permission to file SLP and office report)

Date: 16/07/2012 These Petitions were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE ALTAMAS KABIR
HON'BLE MR. JUSTICE J. CHELAMESWAR

For Petitioner(s)

Ms. Savitri Pandey, Adv.
Dr. (Mrs.) Vipin Gupta, AOR.

Mr. Pankaj Bhatia, Adv.
Mr. Vivek Chaudhary, Adv.
Dr. Kailash Chand, AOR.

For Respondent(s)

Mrs. Niranjana Singh, Adv.
Mr. Shiva Puja Singh, Adv.
Mrs. Prema Singhy, Adv.

Contd..2/-

UPON hearing counsel the Court made the following
O R D E R

Permission to file SLP granted.

Issue notice.

Tag with SLP(C)Nos. 29919 of 2011 and 3955 of 2009. Application for intervention, being I.A.No.3 of 2012, will be considered on the returnable date.

In the meantime, operation of the impugned judgment and order of the High Court, shall remain stayed.

|(Sheetal Dhingra)

| |(Juginder Kaur)

| COURT MASTER

| |Assistant Registrar